

**भारतीय वन अधिनियम 1965 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश शासन
की अधिसूचना**

6 अधिसूचना क्रमांक 5322 बस 67 दिनांक 14 जून, 1967 - भारतीय वन अधिनियम 1965 (संख्या 9 सन् 1965) द्वारा संशोधित किया गया है कि धारा 82--क की उपधारा (4) में दी गई शक्ति का उपयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा 20 जून 1967 को इस दिनांक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस दिन से कि उपधारा के उपबंध नीचे दिए गये जिलों के अन्तर्गत बाते वाले क्षेत्र में लागू होंगे-

- (1) रायपुर;
- (2) दुर्ग,
- (3) बस्तर
- (4) जबलपुर,
- (5) सागर,
- (6) दमोह,
- (7) बाताना,
- (8) मंडला,
- (9) सिवनी,
- (10) नरसिंहपुर,
- (11) छिदवाड़ा,
- (12) रायसेन,
- (13) होशंगाबाद,
- (14) बैतूल,
- (15) शाजापुर,
- (16) राजगढ़,
- (17) विदिशा,
- (18) ग्वालियर,
- (19) भिंड
- (20) शिवपुरी,
- (21) दत्तिमा,
- (22) गुना,
- (23) मुरैना,
- (24) इन्दौर,
- (25) उज्जैन,
- (26) देवास,
- (27) धार,
- (28) झाबुआ,

- (29) रतलाम,
- (30) पूर्वी निमाड़,
- (31) मन्दसौर,
- (32) रीवा,
- (33) सतना,
- (34) शहडोल,
- (35) पन्ना,
- (36) छतरपुर,
- (37) टीकमगढ़,

[मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 जून 1967 पेज 1816 पर प्रकाशित]